मथुरा पुलिस

दिनांक 18.07.2025 प्रेस नोट थाना- जैंत

थाना जैत पुलिस एवं एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स आगरा जोन आगरा की संयुक्त कार्यवाही में नशीले पदार्थों की तस्करी करने वाले 02 अभियुक्तगण को किया गिरफ्तार कब्जे से 03 किलोग्राम मादक पदार्थ अफीम(अनुमानित कीमत 30 लाख रूपये), 100 ग्राम नाजायज चरस एवं एक कार बरामद ।

थाना जैत पुलिस एवं एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स आगरा जोन आगरा की संयुक्त कार्यवाही में मुखबिर की सूचना पर चैकिंग के दौरान दिनांक 17.07.2025 को नशीले पदार्थों की तस्करी करने वाले 02 अभियुक्तगण 1. गुरुमैल सिंह पुत्र शेर सिंह निवासी ग्राम सोंटी थाना लाडवा जिला कुरुक्षेत्र हरियाणा 2. सुल्तान सिंह पुत्र जयपाल सिंह निवासी जोगना खेड़ा थाना केयूके जिला कुरुक्षेत्र हरियाणा को थाना जैत जनपद मथुरा से 300 मीटर आगे पलवल की तरफ एन एच -19 से गिरफ्तार किया गया । जिनके कब्जे से 03 किलोग्राम मादक पदार्थ अफीम, 100 ग्राम नाजायज चरस एवं घटना मे प्रयुक्त एक सियाज कार न0 HR07 V 1801 बरामद की गयी। बरामदगी के आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 342/2025 धारा 08/18/20/29/60 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की गई।

संक्षिप्त विवरण-- अभियुक्तगणो ने पूछताछ मे बताया कि मैने वर्ष 2015 मे बरेली से लखनऊ जाने वाले हाइवे पर फरीदपुर मे गुरूनानक ढाबा के नाम से एक होटल खोला था जहां ट्रक ड्राइवर मुझसे अफीम व डोडा की डिमाण्ड करते थे इसी दौरान एक ट्रक ड्राइवर के माध्यम से करन नामक व्यक्ति से मुलाकात हुई जो सेनापति इम्फाल का रहने वाला था जिसके माध्यम से मै अफीम के कारोबार मे जुड गया मै व मेरे कई परिचित मेरे साथ जुडकर भारी मात्रा मे अफीम की तस्करी करने लगे जब हम लोग अफीम की तस्करी करते समय गुवाहाटी मे पकडे गये तब हम लोगो ने अपने मित्र जगजीत की गर्ल फ्रेन्ड सलोनी के माध्यम से अफीम भिजवाना शुरू कर दिया। दिनांक 02/06/2025 को मै गुवाहाटी गया तथा कोर्ट मे तारीख करने के बाद जगजीत से अफीम लेकर सेनापति करन के पास चला गया और दिनांक 12/06/25 वापस आ गया था। आज दिनाक 17/07/2025 को मै अपने साथी के साथ नेपाल बार्डर श्रावस्ती से अफीम लेकर कुरूक्षेत्र जा रहा था कि आपने पकड लिया। पकडे गये अभि0 गणो के बिरूद्ध नियमानुसार NDPS ACT के प्रावधानो के तहत आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता:-

1.गुरुमैल सिंह पुत्र शेर सिंह निवासी ग्राम सोंटी थाना लाडवा जिला कुरुक्षेत्र हरियाणा।

2.सुल्तान सिंह पुत्र जयपाल सिंह निवासी जोगना खेड़ा थाना केयूके जिला कुरुक्षेत्र हरियाणा।

गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक :-

थाना जैत जनपद मथुरा से 300 मीटर आगे पलवल की तरफ एन एच -19 से दिनांक 17.07.2025

बरामदगी का विवरण—

.तीन किलोग्राम अफीम (अनुमानित कीमत 30 लाख रूपये)

2.100 ग्राम नाजायज चरस।

3.एक सियाज कार नंबर एच आर 07 वी 1801

आपराधिक इतिहास:-

आपराधिक इतिहास अभियुक्त गुरमैल उपरोक्त—

1. मु0अ0स0 83/2024 धारा 17सी,29 एनडीपीएस एक्ट थाना जीआरपी गुवाहाटी आसाम।

2. मु0अ0स0 381/2018 धारा 15,18,61 एनडीपीएस एक्ट थाना लाडवा कुरुक्षेत्र हरियाणा।

3. मु0अ0सं0- 342/2025 धारा 08/18/20/29/60 एनडीपीएस एक्ट थाना जैत जनपद मथुरा उ0प्र0।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त सुल्तान उपरोक्त—

1.मु0अ0सं0- 342/2025 धारा 08/18/20/29/60 एनडीपीएस एक्ट थाना जैत जनपद मथुरा उ0प्र0।

अभियुक्त सुल्तान के विरुद्ध थाना कुरुक्षेत्र कोतवाली में 31 किलोग्राम गांजा बरामद होने का अभियोग दर्ज है जिसकी जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम के सदस्यों के नाम:-

1.श्री उमेश चन्द त्रिपाठी - थाना जैत जनपद मथुरा।

2.उ0नि0 श्री अमित कुमार राय -थाना जैत जनपद मथुरा

3.उ0नि0 श्री गौरव शर्मा - एएनटीएफ टीम आगरा जोन आगरा

4.मु0आ0 722 अजीत सिंह - एएनटीएफ टीम आगरा जोन आगरा

5.मु0आ0 450 आशीष शुक्ला - एएनटीएफ टीम आगरा जोन आगरा

6 मु0आ0 99 प्रेम नरायण - एएनटीएफ टीम आगरा जोन आगरा

7.मु0आ01204 वसीम अकरम - एएनटीएफ टीम आगरा जोन आगरा

8.मु0आ0चालक मुकेश कुमार - एएनटीएफ टीम आगरा जोन आगरा।

थाना जैत जनपद मथुरा
CUG 9454403955